

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 230 / 2025

अमनदीप सिंह पुत्र अग्नेज सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादी

बनाम



1. अग्नेज सिंह पुत्र रेशम सिंह पुत्र जैला उर्फ जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी
शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 10.7.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल क्लर्क रोबरू हमारे बहाजरी श्री हरबन्हा सिंह झोरड़ अभिभाषक वादी व श्री परविन्द्र सिंह अभिभाषक प्रतिवादी मिनं जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादी स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक नं. 15 एम.के.एस. जं.सं. 2071-74 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 101/73 में कुल 2.2770 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि में से 1.265 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 अग्नेज सिंह का हिस्सा कम किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज...~~निल~~...~~मुब्लिक~~...~~निल~~...~~बाबत~~...~~निल~~...~~खर्चा~~ मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ~~को~~ अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10.7.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया